न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **240/21 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2021/627

1. मांगीलाल पुत्र गेहरीलाल उर्फ गेरीया जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी दुर्गावतों का नोहरा, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. चेना पुत्र गेहरीलाल उर्फ गेरीया जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी दुर्गावतों का नोहरा, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. केशुलाल पुत्र गेहरीलाल उर्फ गेरीया जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी दुर्गावतों का नोहरा, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............प्रार्थीगण

बनाम

1. गीता पुत्री खेमा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी दुर्गावतों का नोहरा, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. नन्दा पुत्र खेमा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी दुर्गावतों का नोहरा, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. मोहनी पत्नी खेमा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी दुर्गावतों का नोहरा, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. लछू पुत्री खेमा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी दुर्गावतों का नोहरा, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. हीरालाल पुत्र खेमा जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी दुर्गावतों का नोहरा, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. मीरा पुत्री गेहरीलाल उर्फ गेरीया जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी – दुर्गावतों का नोहरा, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. लाली पत्नी गेहरीलाल उर्फ गेरीया जी जाति डांगी, आयु वयस्क, निवासी दुर्गावतों का नोहरा, घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. पटवारी, पटवार हल्का घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री अधिवक्ता श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 27.10.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम दुर्गावतो का नोहरा, पटवार क्षेत्र

घासा, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 5709, 5710, 5711, 5712, 5713 किता 5 कुल रकबा 0.5989 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 6 व 7 प्रत्येक के नाम पर 1/5–1/5 हिस्सेनुसार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित है। आराजी नम्बर 5716 रकबा 0.2185 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम पर संयुक्त रूप से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में खातेदारी हक से अंकित है। हम प्रार्थीगण की कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये मुख्य रास्ते के सटमा उत्तरी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजी नम्बर 5716 के पूर्वी भाग की भूमि पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ 20 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ है जो आराजी नम्बर 5712 की उत्तर दिशा के सटमा बना हुआ है जिससे होकर हमारे पूर्वज अपने जीवनकाल में एवं उनके पश्चात् हम प्रार्थीगण हमारी कृषि भूमि पर आते जाते रहे है तथा इसी रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा हमारी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे है तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से हमारे पूर्वज एवं हम प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

2. यह कि हम प्रार्थीगण के पास हमारी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये विपक्षीगण की कृषि भूमि में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। परन्तु वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा उक्त वर्णित आराजी पर सदीप से बने रास्ते को जोर जबरदस्ती अपनी जमीन में मिलाकर रास्ते को अवरूद्ध करने पर उतारू हो रहे है तथा हम प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से होकर हमारी जमीनों में आने जाने से भी रोक दिया है और समझाने पर भी नही मान रहे है। विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा हम प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से होकर हमारी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से हम प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि पर आ जा नही पा रहे है और न ही अपनी जमीनों की सार सम्भाल, हकाई, बाड़ वगैरा ही करवा सक रहे है जिससे हम प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही है। हम प्रार्थीगण को हमारी जमीन पर आवागमन करने देने बाबत् निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 5 ने उक्त रास्ते से हम प्रार्थीगण को आवागमन करने देने एवं बैल, ट्रेक्टर इत्यादि ले जाने एवं लाने देने से इंकार कर दिया और हमारे साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये अतएव इनको ऐसा करने का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार नही है। इसलिये हम प्रार्थीगण की जमीनों में आवागमन करने के लिये मुख्य रास्ते से विपक्षी संख्या 1 से 5 की खातेदारी भूमि का वर्णन किया है उसमें बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ–जा सके उतनी चौडाई का रास्ता विधिक रूप से कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि हम प्रार्थीगण अदा/जमा कराने को तैयार हैं।

3. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुँचने के लिये नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौड़ा कराने का प्रावधान दिया गया है।

4. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 13.12.2021 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 5 ने उनकी भूमि में स्थित रास्ते से हम प्रार्थीगण को आवागमन करने से रोक दिया जिसपर हम प्रार्थीगण ने आराजी नम्बर 5716 के पूर्वी भू भाग पर स्थित रास्ते से हमारी कृषि भूमि पर आवागमन करने देने एवं रास्ते में कोई अवरोध पैदा नही करने हेतु निवेदन किया तो विपक्षी संख्या 1 से 5 ने इन्कार कर दिया और हमारे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया की हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जायें कि हम प्रार्थीगण की आराजी पर पहुँचने तक के लिए विपक्षी संख्या 1 से 5 की खातेदारी की आराजी नम्बर 5716 के पूर्वी भू भाग (जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित किया गया है) पर 20 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाड़ी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई में) मार्ग कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 8, 9 को आदेशित किया जावें और उक्त रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु हम प्रार्थीगण को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 5 को इस आशय का निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विपक्षी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 से 5 उसकी भूमि में स्थित उक्त रास्ते से होकर प्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमियो में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नही करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, प्रार्थीगण को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हांके नही, बाड़ नही करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 5708 से 5713 तक आने जाने हेतु कोई भी रिकॉर्डेड / वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगणों को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए विपक्षीगणों के आराजी नम्बर 5716 रकबा 0.2785 हैक्टेयर में से 6.09×21=128 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। यह रास्ता न्यूनतम दूरी का है। आराजी नम्बर 5716 आबादी भूमि के पास में स्थित है। इस तक पहुंच हेतु आबादी भूमि से रास्ता है। ग्राम दुर्गावतों के नोहरा की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. 3310000/– प्रति हैक्टेयर से प्रस्तावित रास्ते की भूमि रकबा 128 वर्गमीटर की किमत 42368 रूपये बनती है।

7. अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के [illegible] में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम [illegible]वती का खेड़ा पटवार हल्का घासा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested

तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 86 पर दर्ज आराजी नम्बर 5712 रकबा 0.3561 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

न्यायालय का यह भी अभिमत है कि सार्वजनिक रास्ते एवं प्रार्थीगण की सहखातेदारी आराजी नम्बर 5712 के मध्य विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी नम्बर 5716 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ न्यूनतम दूरी का रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी नम्बर 5716 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते का रकबा 0.0128 हैक्टेयर भूमि बनता है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। डीएलसी 3310000 रुपये प्रति हैक्टेयर से 42368 रूपये बनते है तथा दुगुनी दर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 128 वर्गमीटर के 84,736 रूपये बनते है। उक्त राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 से 5 को दी जाकर रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश [illegible] जाते है कि ग्राम दुर्गावतो का खेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का घासा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 303 पर दर्ज आराजी नम्बर 5716 रकबा 0.2185 हेक्टेयर भूमि में से 0.0128 हैक्टेयर अर्थात 6.09×21=128 वर्गमीटर रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार घासा को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत का दुगुना 84,736/– रूपयें चौरासी हजार सात सौ छतीस रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 से 5 को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। वर्तमान खातेदार द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:22:00 IST
Reason: SelfAttested